



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-43

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 265380 दिनांक 06/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nitin Kasliwal S/o Rajendra Kasliwal	श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री गोपीराम	38	216.66 SQ. YARD	Cooperative	MAHAVEER NAGAR II Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री चिरंजी लाल द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 13.10.2014 को श्री मनीष सोगानी पुत्र श्री गोपी चन्द सोगानी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री मनीष सोगानी द्वारा दिनांक 17.12.2018 को श्री मन मोहन माहेश्वरी पुत्र श्री बद्री नारायण माहेश्वरी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्री मन मोहन माहेश्वरी द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 29.11.2021 को श्री दीक्षांत हाड़ा पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश हाड़ा के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्र, श्री दीक्षांत
हाड़ा द्वारा उक्त
भूखण्ड बाबत
दिनांक
19.10.2022 को
श्री राजन जैन पुत्र
स्व. श्री मन
मोहन जैन (बज)
के पक्ष में
निष्पादित
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र तथा श्री
राजन जैन द्वारा
उक्त भूखण्ड
बाबत दिनांक
24.08.2023 को
श्री नितिन
कासलीवाल पुत्र
श्री राजेन्द्र
कासलीवाल के
पक्ष में निष्पादित
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nitin Kasliwal S/o Rajendra Kasliwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004